राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(कोटपूतली—बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :— महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्याः—23/25

तारीख रजू:—28.05.2025

निर्णय दिनांकः—14-10-25

उनवान

1. दीपचन्द पुत्र हरफूल जाति अहीर निवासी वीरनवास तहसील मॉढण जिला कोटपूतली—बहरोड राज।
2. छोटेलाल पुत्र हरफूल जाति अहीर निवासी वीरनवास तहसील मॉढण जिला कोटपूतली—बहरोड राज।
3. रूडाराम पुत्र हरफूल जाति अहीर निवासी वीरनवास तहसील मॉढण जिला कोटपूतली—बहरोड राज।
4. सत्यवीर पुत्र हरफूल जाति अहीर निवासी वीरनवास तहसील मॉढण जिला कोटपूतली—बहरोड राज।

.............प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमान तहसीलदार साहब, मॉढण तह0 मॉढण जिला कोटपूतली—बहरोड राज0

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र— अंतर्गत धारा 111.128, एल0आर0एक्ट0

उपस्थितिः

1. श्री मकरध्वज शर्मा एडवोकेट—प्रार्थी
2. पैरोकार सरकार—अप्रार्थी

—:निर्णयः— दिनांक

आज यह पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर हाल 19 रकबा 0.24 है0, 20 रकबा 0.06 है0, 4 रकबा 0.49 है0, 5 रकबा 1.54 है0 वाके ग्राम बसई भोपाल तह0 मॉढण जिला कोटपूतली—बहरोड में स्थित है। जो हम प्रार्थीगण की खातेदारी काश्त की आराजी दर्ज रिकॉर्ड है जिसकी सीमाज्ञान पैमाईश दिनांक 28.06.2024 को श्रीमान तहसीलदार साहब के आदेशानुसार पटवारी हल्का द्वारा की गई तथा पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 28.06.2024 के मुताबिक आराजी मुतनाजा की पुख्ता पत्थरगढी नहीं की गई है तथा तहसीलदार साहब द्वारा राजस्व न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश कर आदेश लेकर आने पर पत्थरगढी की जा सकेगी। इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार की तामिल हो चुकी है। जवाब पेश हेतु अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं किया गया। जवाब बन्द किया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई है।

पत्रावली में वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को रिपीट करते हुए आराजी मुतनाजा की पुख्ता पत्थरगढी सीमाज्ञान पैमाईश के आधार पर किया जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली का का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध सीमाज्ञान पैमाईश दिनांक 28.06.2024 का अवलोकन किया गया। सीमाज्ञान पैमाईश तसहीलदार मॉढण के आदेश से पटवारी हल्का द्वारा हाल रिकॉर्ड एवं राजस्व नक्शा के

उपखण्ड अधिकारी

मुताबिक किया गया है तथा पटवारी हल्का द्वारा की गई सीमाज्ञान पैमाईश के विरूद्ध किसी प्रकार की आपत्ति न्यायालय में पेश नहीं की गई है। इसलिए न्याय हित में सीमाज्ञान पैमाईश दिनांक 28.06.2024 के मुताबिक प्रार्थी के खसरा नम्बर 19 रकबा 0.24 है0, 20 रकबा 0.06 है0, 4 रकबा 0.49 है0, 5 रकबा 1.54 है0 वाके ग्राम बसई भोपाल तह0 मॉढण जिला कोटपूतली–बहरोड पर पुख्ता पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतित होता है। इसलिए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं सीमाज्ञान पैमाईश के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 128,111, आर0टी0एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार मॉढण को आदेश दिया जाता है। कि प्रार्थीगण की खातेदारी के खसरा नम्बर 19 रकबा 0.24 है0, 20 रकबा 0.06 है0, 4 रकबा 0.49 है0, 5 रकबा 1.54 है0 वाके ग्राम बसई भोपाल तह0 मॉढण जिला कोटपूतली–बहरोड की सीमाज्ञान पैमाईश दिनांक 28.06.2024 के आधार पर चारों तरफ के खातेदारों की उपस्थिति में पुख्ता पत्थरगढी करे। पैमाईश के मुताबिक पत्थरगढी की एवज में किसी को कब्जा नहीं दिलवाये। तहसीलदार मॉढण को आदेश की पालनार्थ अलग से लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 14-10-25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(महेन्द्र सिंह यादव)
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)
उपखण्ड अधिकारी नीमराना
जिला कोटपूतली–बहरोड़(राज0)